डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री रिछपाल सिंह बुरड़क (आर0ए0एस0)

राजस्व अपील संख्या :– 84 / 21 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2021 / 174

उनवान

श्रीमती हरदेई पुत्री स्व. झम्मन, जाति माली निवासी बस स्टैण्ड के पास कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर हाल जिला डीग। ....अपीलान्ट्स

बनाम

1. कैलाश पुत्र बुद्धीलाल जाति ब्राह्मण
2. जगदीश प्रसाद पुत्र बुद्धीलाल जाति ब्राह्मण
3. नत्थीलाल पुत्र बुद्धीलाल जाति ब्राह्मण

(1 से 3) निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर, हाल जिला भरतपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नगर जिला भरतपुर हाल जिला डीग।

.............रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 517 / 88 बउनवानी बुद्धीलाल बनाम तहसीलदार नगर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10. 1989 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई कैम्प नगर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

यह अपील ....05............माह........06............सन्.......2026.........व ..... मिनजानिब अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता **श्री पंकज कुमार** एड......., एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,3 की ओर से अधिवक्ता **श्री कृष्ण कुमार सिंघल** उपस्थित समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाते हैं।**

(खर्चा अपील...............का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.............) रूपये.................. अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.......05..........माह.........06........सन्..........2026.........को जारी की गई।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 84/21 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2021/174

उनवान

श्रीमती हरदेई पुत्री स्व. झम्मन, जाति माली निवासी बस स्टैण्ड के पास कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर हाल जिला डीग। ....अपीलान्ट्स

बनाम

1. कैलाश पुत्र बुद्धीलाल जाति ब्राह्मण
2. जगदीश प्रसाद पुत्र बुद्धीलाल जाति ब्राह्मण
3. नत्थीलाल पुत्र बुद्धीलाल जाति ब्राह्मण

} निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर, हाल जिला भरतपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नगर जिला भरतपुर हाल जिला डीग।

.............रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 517/88 बउनवानी बुद्धीलाल बनाम तहसीलदार नगर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.1989 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई कैम्प नगर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,3 श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 05.06.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई कैम्प नगर द्वारा मु.स. 517/88 बउनवानी बुद्धीलाल बनाम तहसीलदार नगर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.1989, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 के पिता बुद्धिलाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बुद्धिलाल बनाम तहसीलदार नगर अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 622/0.03 वाके कस्बा नगर तहसील नगर पर वादी/रेस्पोडेन्ट सं. 2012 से पूर्व से काबिज रह कर उपभोग मे ले रहा है। प्रतिवादी का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नही था। उक्त आराजी पर प्रतिवादी ने सिवायवक व वादी को अतिक्रमी दर्ज किया हुआ है। जिसे बातिल व बेअसर करार दिया जावे एवं विवादित आराजी के कुल रकबा 0.17 है0 में से 0.03 हैक्टर पर स्वयं को खातेदार घोषित कराने की प्रार्थना की। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। जिस बाबत् अपीलान्ट ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.10.1989 को निर्णय पारित करते हुए दावा वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज कुमार एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,3 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंघल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 622/0.17 है. कस्बा नगर साबिक खसरा नम्बर 503, 504 व 505 से निर्मित हुआ है। इसमें से खसरा नम्बर 503, 504 सैटिलमेन्ट से पूर्व अपीलान्ट्स के दादा स्व. पप्पू पुत्र परमा की खातेदारी में दर्ज थे। स्व. पप्पू पुत्र परमा ने अपने जीवनकाल में यह आराजी अपीलान्ट्स को अपने अन्य पुत्रों की सहमति से करीब 40 साल पहले काश्त पर दे दी थी तभी से अपीलान्ट इस पर काबिज होकर काश्त कर रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व प्रस्तुत दावा व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का कतई अवलोकन नहीं किया दावे में स्व0 बुद्धीलाल यह कहकर आये हैं कि उनका सम्वत 2012 से पूर्व का कब्जा है जबकि इस बाबत कोई रिकार्ड उनके द्वारा अपने दावे में प्रस्तुत नहीं किया गया। दावे में दस्तावेजी साक्ष्य में एकतरफा में तैयार पटवारी खसरा गिरदावरी संवत 2038-41 प्रस्तुत की। स्व. बुद्धीलाल द्वारा प्रस्तुत दावा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री कर दिया जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीये है। स्व. बुद्धिलाल द्वारा साक्ष्य के रुप में केवल खसरा गिरदावरी पेश की थी, कोई भी जमाबंन्दी पेश नहीं की। अधीनस्थ न्यायलय ने अपने निर्णय में स्वयं मौका देखकर तैयार मौका रिपोर्ट को आधार मानकर दावा डिक्री किया है। उक्त मौका रिपोर्ट स्वयं में विरोधाभाषी है क्योंकि उस मौका रिपोर्ट में स्वयं पीठासीन अधिकारी ने लिखा है कि वादी का कब्जा 15-20 साल पुराना है जो कि वादी के दावे में कहे गये कथनों से विपरीत है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड व मौके के विपरीत आज्ञा पारित की है जो काबिल निरस्तनीये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनयम के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के लिये सरकार के खिलाफ 30 साल पुराना कब्जा सिद्ध करना होता है जबकि स्व0 बुद्धीलाल रिकार्ड व मौका रिपोर्ट से 30 साल या 30 साल से अधिक पुराना कब्जा कहीं सिद्ध नहीं कर सके। इस कारण से भी आदेश अधीनस्थ न्यायालय काबिज निरस्तनीय है। हाल ख.न. 622 साबिक ख.न. 503, 504, 505 से निर्मित हुआ है जिसमें कहीं भी स्व. बुद्धीलाल का नाम दर्ज नहीं है बल्कि अपीलान्ट्स के बुजुर्ग पप्पू पुत्र परमा का नाम दर्ज है। इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय में स्व. बुद्धीलाल ने सैटिलमेन्ट से पूर्व का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि दावा 2012 से कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने बाबत् था। अधीनस्थ न्याायलय द्वारा इन तथ्यों को अनदेखा कर आदेश व डिक्री पारित किये है जो काबिल निरस्तनीये है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि प्रार्थीया को इस निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी प्रार्थीया ने सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 622 को सिवायचक दर्ज कर दिया था उसकी दुरूस्ती बाबत एक दावा एस.डी.ओ. नगर में प्रस्तुत किया तब हाल को जमाबंदी लेने पर खसरा नम्बर 622 पर रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज होने की जानकारी हुई। इस पर प्रार्थीया ने पुराने रिकार्ड का अवलोकन किया दिनांक 19.02.2021 को प्रार्थीया को भरतपुर रिकार्ड रुम में पत्रावली अवलोकन करने पर निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.1989 की जानकारी हुई इस पर प्रार्थीया ने दिनांक 19.02.2021 को नकल के लिये आवेदन किया नकल दिनांक 25.02.2021 को प्राप्त हुई जिसे प्रार्थीया ने अपने वकील

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

साहब को दिखाया वकील साहब ने कुछ अन्य दस्तावेजों की मांग की कोरोना काल के कारण परिवहन साधन बंद हो गये थे इस कारण प्रार्थीया अपील प्रस्तुत नहीं कर सकी लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद प्रार्थीया अपने वकील से मिली और अपील बिना देरी के प्रस्तुत कर रही है। अतः कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के कारण अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 19.10.1989 निरस्त की जावे।

6. अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से अपील पेश करने की अनुमति लेने बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी मय शपथ–पत्र पेश किया है। जिसमें कथन किया कि प्रार्थीया निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.1989 से प्रभावित है जिसके द्वारा हाल खसरा नम्बर 622 रकबा 0.17 हैक्टर में 0.03 हैक्टर पर अप्रार्थीगण के पिता स्व. बुद्धीलाल को खातेदार घोषित किया गया है। हाल खसरा नम्बर 622 साबिक खसरा नम्बर 503, 504, 505 से निर्मित हुआ है जिसमें से 503 व 504 प्रार्थीया के पूर्वज पप्पू पुत्र परमा की खातेदारी के रकबे है तथा वर्तमान में प्रार्थीया पारिवारिक सहमति के आधार पर काबिज है। इस कारण प्रार्थीया आदेश दिनांक 19.10.1989 से प्रभावित है। प्रार्थीया को आदेश दिनांक 19.10.1989 की अपील करना आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर प्रार्थीया को आदेश दिनांक 19.10.1989 की अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी ख.न. 622/0.03 वाके कस्बा नगर तहसील नगर स्थित है। उक्त विवादित आराजी पर वादी संवत 2012 से पूर्व से काबिज रह कर काबिज चला आ रहा था। अपीलान्ट ने उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 503, 504, 505 से निर्मित होना बताया है लेकिन इस बाबत मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में स्व. पप्पू को अपना पूर्वज बताया है किन्तु इस बाबत भी अपीलान्ट ने अपील पत्रावली पर कोई सजरा पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि स्व. पप्पू अपीलान्ट के पूर्वज है एवं अपीलान्ट अकेली है, वारिस है या और भी कोई अन्य वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय के दावे में पुराने खसरा नम्बरान का भी हवाला नहीं दिया गया है। अपीलान्ट ने अपील में तथ्य तो पेश किए हैं किन्तु उनसे संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए है। अपीलान्ट ने उक्त अपील सन् 2021 में पेश की है जो लगभग 32 साल बाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा 32 साल बाद अपील पेश की है जो बिना दस्तावेजी साक्ष्य के उचित नहीं है। रेस्पोडेन्ट का दावा 13 एयर का ही था जो हो सकता है खसरा नम्बर 505 से बना हो। उक्त विवादित खसरा नम्बर रिकार्ड के मुताबिक सिवायचक थी। अपीलान्ट घोषणा का दावा नहीं लाए थे। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा सरकार के विरुद्ध दावा किया था तथा सरकार अपील में नहीं गयी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रुप से सही निर्णय पारित किया गया है। जो त्रुटिपूर्ण नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

8. हस्तगत अपील जो अपीलान्ट द्वारा पेश की गयी है; अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण अपील पेश करने की अनुमति लेने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी मय शपथ–पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण/अपीलान्ट ने अपने द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में कथन किया है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.1989 से प्रभावित है जिसके द्वारा हाल खसरा नम्बर 522 रकबा 0.17 हैक्टर में 0.03 हैक्टर पर अप्रार्थीगण के पिता स्व. बुद्धीलाल को खातेदार घोषित किया गया है। हाल खसरा नम्बर 622 साबिक खसरा नम्बर 503, 504, 505 से निर्मित हुआ है जिसमें से 503 व 504 प्रार्थीया के पूर्वज पप्पू पुत्र परमा की खातेदारी के रकबे है तथा वर्तमान में प्रार्थीया पारिवारिक सहमति के आधार पर काबिज है। जिससे प्रार्थीया आदेश दिनांक 19.10.1989 से प्रभावित है। प्रार्थीया के अधिवक्ता का इस समबन्ध में अपनी बहस में कथन रहा है कि प्रार्थीया ने अपील पेश करने की अनुमति हेतु यह प्रार्थना–पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मय शपथ–पत्र पेश किया है एवं रेस्पोडेन्ट्स ने कोई जबाब भी पेश नहीं किया है जिससे ही साबित है कि मैं पप्पू पुत्र परमा की वारिस हूँ एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित हूँ इसलिए अपील पेश करने की अनुमति दी जावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया ने खसरा नम्बर 503, 504 व 505 से वर्तमान खसरा नम्बर 622 निर्मित होना अंकित किया है लेकिन कोई मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है। पप्पू प्रार्थीया के पूर्वज हैं इस बाबत कोई सजरा भी पेश नहीं किया है। प्रार्थीया अकेली ही वारिस या अन्य भी वारिस हैं इस बाबत कोई अंकन नहीं है। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया आदेश 96 सीपीसी खारिज योग्य है।

अपीलान्ट हरदेई पुत्री स्व. झम्मन जाति माली द्वारा अपील पेश करने की अनुमति हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 96 सीपीसी पेश किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.10.1989 से अपने आपको प्रभावित होना कथित किया है। हरदेई का यह कथन रहा है कि हाल खसरा नम्बर 622 साबिक ख.न. 503, 504, 505 से निर्मित हुआ जिसमें से ख.न. 503 व 504 प्रार्थीया के पूर्वज पप्पू पुत्र परमा की खातेदारी के रकबे हैं तथा वह पारिवारिक सहमति के आधार पर काबिज है, इस कारण अपने को प्रभावित पक्षकार बताया है। अपील का अधिकार दावे के अधिकार से भिन्न है। अपील करने का अधिकार तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार हो। प्रार्थीया ने वादग्रस्त भूमि पप्पू पुत्र परमा की खातेदारी होना अंकित किया है लेकिन प्रार्थना–पत्र में यह स्पष्टीकरण नहीं है कि उसका पप्पू पुत्र परमा से क्या सम्बन्ध है। साथ ही वह पारिवारिक सहमति के आधार पर अपने आप को वादग्रस्त भूमि पर काबिज होना अंकित किया है लेकिन ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं है जिससे पारिवारिक सहमति के आधार पर उसे काबिज कराया गया हो। पत्रावली पर एक भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर प्रार्थीया का पूर्वज पप्पू पुत्र परमा साबित होता हो एवं कोई भी ऐसा राजस्व रिकार्ड भी नहीं है जिससे उसके द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हो। साथ ही अपीलान्ट सायला के अधिवक्ता के कथनानुसार अगर अन्य अपील पत्रावली अ.स. 117/2024 उनवानी श्रीमती हरदेई बनाम कैलाशचन्द के तथ्यों को भी देखा जाए तो सायला के बाबा पप्पू पुत्र परमा के दो पुत्र झम्मन एवं मिश्री थे। सायला ने उसके चाचा मिश्री को भी सजरे में छिपाया है एवं केवल अकेली ने दावा कर घोषणा चाही है लेकिन उसके स्वयं के भाई–बहिन एवं चाचा के वारिसान भी पक्षकार होने चाहिए थे लेकिन सायला ने उनको मुकदमा पक्षकार नहीं बनाया है।

इस प्रकार प्रार्थीया को बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य एवं बिना राजस्व रिकार्ड के वादग्रस्त भूमि में प्रथम दृष्टया उसका हक–हकूक नहीं माना जा सकता है जिसके कारण उसको अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.10.1989 से प्रभावित नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है एवं साथ ही अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाते हैं।
10. निर्णय आज दिनांक 05.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर